न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./73/2021/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
नरसिंगाराम पुत्र गुणेशाराम का.मु. 1. गोपाराम पुत्र नरसिंगाराम 2. शंकरलाल पुत्र नरसिंगाराम 3. नथूदेवी पत्नी नरसिंगाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी तिलाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	1. मोलाराम पुत्र आसूराम जाति कुम्हार निवासी तिलाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रवन्धक, एसवीआई भूका भगतसिंह तहसील सिणधरी 3. त्हसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2021 बअनवान मोलाराम बनाम नरसिंगाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.08.2021 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री वावुलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भंवरलाल सारण रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—15.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्वर 223, 224, 240, 267, 419 कुल रकबा 30.2810 हैक्टयर मौजा तिलाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर आया हुआ है जिसमें वादी/उतरदाता संख्या 01 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 01 का 1/2 हिस्सा है। वादी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा कस्सी खुली हुई है तथा भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है, इसलिये पक्षकार के मध्य वादग्रस्त भूमि हिस्से व कब्जा काश्त को लेकर तनाजा वना रहता है इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया वो एकपक्षीय रूप से तैयार किया गया। तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवयना नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिणधरी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिणधरी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2017(2) Page 1047

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

RRT 2012(2) Page 747
RRT 2016(1) Page 87
RRT 2019(2) Page 1547
RRT 2019(2) Page 1050

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.02.2021 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2021 बअनवान भोलाराम बनाम नरसिंगाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.08.2021 को अपास्त किया जाकर मामला

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत वाद का निर्णय दो माह में पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.11.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर